बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

श्री अनिल कुमार, सहायक अधीक्षक, के विरूद्ध कारा के आपूरक श्री सुमेश कुमार के द्वारा उनके मंडल कारा, आरा में पदस्थापन के दौरान कारा में बरती गई वित्तीय अनियमितता, आपूरक विशेष को लाभ पहुँचाने, गलत विपत्र पर राशि की निकासी कर पैसा का बंदरबाट करने एवं अन्य कतिपय गंभीर आरोप उक्त लगाये गये हैं। आपूरक के द्वारा लगाये गये आरोपों की जाँच श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, प्रभारी पदाधिकारी–2, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना से करायी गई।

2. जाँचोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप सही पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या 7633 दिनांक 29.12.2015 द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रूपक कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी (सम्प्रति आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना) को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मृत्युजय कुमार, सहायक अधीक्षक मंडल कारा, आरा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 2208 दिनांक 11.04.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई जिसके अनुपालन में श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा जवाब समर्पित किया गया।

3 श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपवार स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी का अधिगम एवं द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर निम्नवत् है :–

आरोप संख्या–(i) वर्ष 2015–16 के खाद्य सामग्री के चयनित निविदाकर्त्ता (आपूरक) श्री सुमेश कुमार को चीनी, श्री रविन्द्र सिंह को ईमली, आमचूर्ण, चायपत्ती एवं बालाजी इन्टरप्राइजेज के पक्ष में नमक की निविदा थी परन्तु भुगतान अन्य आपूरक श्री अजय कुमार सिंह को किया गया है जो नियम विरूद्ध है।

स्पष्टीकरण :– प्रथम आरोप के संबंध में श्री कुमार ने कहा कि चूँकि आपूरक श्री सुमेश कुमार ने आपूर्ति के शर्तो के अनुसार बैंक गारंटी नहीं जमा किया था अतः इन्हें आपूर्ति आदेश नही दिया गया।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– अभिलेखों के अनुसार आपूरक श्री सुमेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 08.04.2015 को कारा कार्यालय में बैंक गारंटी जमा कर दिया गया था। भंडार पंजी में दिनांक 09.04.2015 को आपूरक श्री अजय कुमार से 30 क्वींटल चीनी की आपूर्ति ली गई जबकि चीनी की आपूर्ति हेतु आपूरक श्री सुमेश कुमार सिंह नामित हुए थे। इससे यह स्पष्ट है कि दिनांक 08.04.2015 को आपूरक श्री सुमेश कुमार सिंह द्वारा आपूर्ति हेतु बैंक गारंटी जमा किये जाने के बावजूद उनसे दिनांक 09.04.2015 को चीनी की आपूर्ति नही लेकर दूसरे आपूरक से चीनी की आपूर्ति ली गई। अभिलेखों के अनुसार आपूरक श्री रवीन्द्र सिंह एवं श्री बालाजी इन्टरप्राइजेज द्वारा ससमय बैंक गारंटी जमा किये जाने के बावजूद उन्हें आवंटित सामग्रियों की आपूर्ति दूसरे आपूरक श्री अजय कुमार सिंह से ली गई तथा भुगतान किया गया। अतः यह आरोप श्री कुमार पर प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– श्री कुमार ने अपने जबाव में कहा है कि आपूरक श्री सुमेश कुमार द्वारा बैंक गारंटी दिनांक 08.04.2015 को तैयार कराया गया था, जिसे एकरारनामा के साथ संलग्न आवेदन के रूप में दिनांक 10.04.2015 को अधीक्षक महोदय, मंडल कारा, आरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ज्ञातव्य हो कि दिनांक 08.04.2015 एवं 09.04.2015 को अधीक्षक महोदय कारा कार्यालय में भी उपलब्ध थे, परंतु उनकी उपस्थिति की अवधि में आपूरक श्री सुमेश कुमार द्वारा अपना एकरारनामा लाया नहीं गया था, जिसकी संपुष्टि गेट पंजी से की जा सकती है। श्री कुमार के अनुसार जांच पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त आवेदन देखे गये परंतु उसे संज्ञान में नहीं लिया गया प्रतीत होता है। चीनी की अत्यधिक खपत होने के कारण द्वितीय सप्ताह में चीनी का बैलेंश समाप्त हो जाने की संभावना थी और आपूरक श्री सुमेश कुमार द्वारा दिनांक 29.03.2015 को अपने दिये गये आवेदन में 10 दिनों की मोहलत मांगी गयी थी, जिसपर अधीक्षक द्वारा समय भी दिया गया था। उस परिस्थिति में आपूरक, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एकारानामा दे दिया था, से दिनांक 09.04.2015 को चीनी की आपूर्ति ले ली गई थी। श्री कुमार का यह भी कहना है कि चूँकि दूसरे आपूरक (श्री अजय कुमार सिंह) को चीनी की आपूर्ति करने का आदेश दिया जा चुका था, अतः उनके द्वारा आपूर्ति किये जाने पर चीनी ले ली गई।

आरोप संख्या–(ii) भंडार पंजी एवं अन्य अभिलेखों में अप्रैल 2015 से जॉच की तिथि 03.09.2015 तक चीनी की मात्रा 1600 किलो अंकित थी परन्तु श्री अजय कुमार सिंह को 4000 किलो चीनी आपूर्ति के विरूद्ध भुगतान किया गया है जबकि श्री अजय कुमार सिंह के पक्ष में चीनी की निविदा नहीं थी। आपका यह कृत्य एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने की ओर इंगित करता है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3 का उल्लघंन है।

स्पष्टीकरण :– द्वितीय आरोप के संबंध में श्री कुमार ने कहा कि चीनी के नामित आपूरक श्री सुमेश कुमार सिंह द्वारा शर्तो के अनुसार बैंक गारंटी नहीं जमा की गई थी। अतः उन्हें आपूर्ति आदेश नहीं दिया गया था।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– तथ्यों का अनुशीलन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि चीनी के नामित आपूरक श्री सुमेश कुमार सिंह द्वारा आपूर्ति हेतु बैंक गारंटी दिनांक 08.04.2015 को कारा में जमा करा दी गई थी। भंडार पंजी के अनुसार दिनांक 09.04.2015 दूसरे आपूरक श्री अजय कुमार सिंह द्वारा 30 क्वींटल एवं 24.06.2015 को 10 क्वींटल चीनी की आपूर्ति ली गई जबकि चीनी की आपूर्ति के लिए आपूरक श्री सुमेश कुमार सिंह नामित थे एवं उनके द्वारा बैंक गारंटी भी ससमय जमा की गई थी। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– श्री कुमार ने अपने जबाव में कहा है कि आपूरक श्री सुमेश कुमार द्वारा दिनांक 10.04.2015 को एकरारनामा एवं बैंक गारंटी जमा करा दी गयी थी और उनसे माह जून–2015 में बार–बार चीनी आपूर्ति की मांग की गयी परंतु अर्थाभाव की मजबूरी एवं बकाये विपत्र का भुगतान होने पर ही आपूर्ति करने की बात उठायी जाती थी। लंबित विपत्र की मांग किये जाने पर भी विपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था।

आरोप संख्या–(iii) सामग्री के लिए चयनित आपूरक से सामान नही लेकर अन्य आपूरक से लिया गया है। अन्य आपूरक से सामान लेने के पूर्व चयनित आपूरक के विरूद्ध विधिवत कारवाई की गई जो निविदा शर्त, वित्तीय नियम एवं विभागीय आदेश का उल्लंघन है।

स्पष्टीकरण :–तृतीय आरोप को श्री कुमार ने अनिर्दिष्ट बताया है तथा इसे आरोप मानने से इंकार किया है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि चीनी, इमली, आमचूर्ण आदि सामग्रियों की आपूर्ति चयनित आपूरको से नही ली गई है और न ही ऐसा किये जाने का औचित्य आरोपी पदाधिकारी द्वारा उल्लेखित किया गया है। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– श्री कुमार ने अपने जबाव में कहा है कि अप्रशिक्षित सहायक अधीक्षक होने, जानकारी का अभाव एवं उच्च अधिकारियों की अनापत्ति के कारण किये गये कृत की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस संबंध में नामित आपूरकों/संबंधित आपूरकों द्वारा भी उनका ध्यान इस तरफ नहीं दिलाया गया, न ही कोई आपत्ति की गयी। जांच पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में जो निर्देश दिये गये इसके बाद से मेरे द्वारा ऐसी गलती नहीं की गयी है।

आरोप संख्या–(iv) आपके द्वारा फर्जी तरीके से अहस्ताक्षरित नोटिस ज्ञापांक 928/04.04.2015, 943/05.04.2015, 962/07.04.2015, 1188/03.05.2015, 1201/05.05.2015 एवं 1245/07.05.2015 अपनी हस्तलिपि में तैयार कर पत्र निर्गत पंजी में दर्ज किया गया है, जो नियम विरूद्ध एवं प्रक्रिया के विरोधाभाषी है और अभिलेखों में लिप्त लेखन, छेड़छाड़ एवं साक्ष्य को मिटाने के प्रयास को स्थापित करता है। यह कृत्य सरकारी अभिलेखों को नुकसान पहुँचाने, साक्ष्य को मिटाने एवं किसी सरकारी सेवक के लिए विहित पदीय कर्त्तव्य एवं आचरण के सर्वथा प्रतिकूल कृत्य को स्थापित करता है।

स्पष्टीकरण :–चतुर्थ आरोप के संबंध में श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने कुछ भी फर्जी नहीं किया है, उन्होने वही कार्य किया है, जो उनके पूर्व में भी किया जाता रहा है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि कारा का ज्ञापांक संख्या 928/04.04.2015, 943/05.04.2015, 962/07.04.2015, 1188/03.05.2015, 1201/05.05.2015 एवं 1245/07.05.2015 अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित नही है तथा इसे बिना सक्षम प्राधिकार के हस्ताक्षर के ही निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त नोटिस संबंधित आपूरक को तामिला कराने का कोई प्रमाण पत्र भी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नही प्रस्तुत किया गया। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– श्री कुमार ने अपने जबाव में कहा है कि यह आरोप उनके जानकारी के अभाव में तामिला कराने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसे अप्रशिक्षित सहायक अधीक्षक की भूल मानकर आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

आरोप संख्या–(v) आपके द्वारा राशन एवं विविध सामग्रियों की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश लिखित में निर्गत न कर आवश्यकता की सूचना आपूरकों को दूरभाष पर दी जाती थी। आपूरकों के द्वारा सामान की आपूर्त्ति करने के पश्चात् उन्हें प्राप्ति रसीद भी नही दी जाती है, जो नियमानुकूल नहीं है।

स्पष्टीकरण :– पंचम आरोप के संबंध में श्री कुमार ने कहा कि उनके पूर्व के अधिकारियों द्वारा भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी जिसका उन्होने अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना था कि उन्हें कोई प्रशिक्षण भी प्राप्त नही था।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :–उपरोक्त तथ्यों का अनुशीलन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि श्री अनिल कुमार एक नवनियुक्त सहायक अधीक्षक थे अतः उनके द्वारा जानकारी के अभाव में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया किन्तु श्री कुमार द्वारा कोई भी कार्य करने से पहले वे कारा में पदस्थापित वरीय पदाधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त करना चाहिए था। अतः उक्त आरोप श्री कुमार पर अंशतः प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– श्री कुमार ने अपने जबाव में कहा है कि सहायक अधीक्षक को लेखा कार्य आवंटित करने के पश्चात् भी तत्कालीन अधीक्षक द्वारा वरीय पदाधिकारी के रूप में विहित प्रक्रिया के संबंध में कोई दिशा–निदेश अलग से नहीं दिया गया था न ही उनके बाद कोई आपत्ति की गयी। इसलिए उसे सही मानते हुए कार्य लिया जा रहा था। कारा में स्वीकृत बल के विरूद्ध मात्र 26 प्रतिशत कार्यबल उपलब्ध होने एवं लेखापाल का पद रिक्त होने के कारण उक्त कार्य उन्हे बिना किसी जानकार के सहयोग से करना पड़ता था।

आरोप संख्या– (vi) कारा के लेखा शाखा में संधारित पंजियों के अभिलेखन एवं विपत्र बनाने का कार्य वर्ष 2005 में कारा से मुक्त हुए एक पूर्व कैदी से आपके द्वारा अपने आवास पर कराया जाता है जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 का उल्लंघन तथा अनियमितता का द्योतक है।

स्पष्टीकरण :– गठित षष्टम आरोप के संबंध में श्री कुमार का कहना है कि पूर्व के पदाधिकारियों द्वारा भी उक्त कैदी से आवास पर कार्य कराया जाता था जिसका उनके द्वारा अनुसरण मात्र किया गया है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– उपरोक्त तथ्यों का अनुशीलन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि श्री कुमार द्वारा स्वयं को लेखा अभिलेखों से संबंधित आवंटित कार्य कारा से मुक्त हुए एक बंदी से कराया जाता था जो सर्वथा अनुचित था। श्री कुमार कारा हस्तक 808 (ii) के अनुपालन में पूर्णतः विफल रहे। अतः यह आरोप श्री कुमार पर प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– श्री कुमार ने कहा है कि एक नवनियुक्त सहायक अधीक्षक को बिना प्रशिक्षण दिये ही एकाएक दिनांक 06.06.2014 को तत्कालीन अधीक्षक द्वारा लेखा कार्य आवंटित किया गया, अतः उनके द्वारा पूर्व के कार्यों का अनुसरण किया गया। तत्कालीन अधीक्षक एवं उपाधीक्षक श्री ललन कुमार सिन्हा एवं सुश्री मधुबाला सिन्हा द्वारा लेखा कार्यालय का कार्य मेरे ही सरकारी आवास के एक कक्ष में किया जा रहा था। पूछने पर उन्होंने कारा गेट कार्यालय में जगह की कमी को देखते हुए कुछ कार्य मेरे सरकारी आवास के एक कमरा में कराने की बात कही। लेखा कार्य का प्रभार ग्रहण करने के उपरान्त उन्हीं के द्वारा शिफ्ट सहायक अधीक्षक के आवास में उन्हीं के समय में कार्य कर रहे लेखक का सहारा लिया और कार्य कराया, जिसपर बाद के पदाधिकारियों द्वारा भी किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

आरोप संख्या– (vii) आपके द्वारा आपूरको को विभिन्न ज्ञापांक यथा–833, 832, 831, 830 एवं 829 दिनांक 25.03.2015 के द्वारा निर्गत कार्यादेश में आवंटित सामग्रियों की सूची में दरो का उल्लेख नही किया गया है जो वित्तीय प्रावधानों के विरूद्ध है।

स्पष्टीकरण :– गठित सप्तम आरोप पर श्री कुमार का कहना है कि उन्हें उक्त नियम की जानकारी नही थी और उन्होने अपने पूर्व के पदाधिकारियों जैसा ही कार्य किया।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– उपरोक्त तथ्यों का अनुशीलन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है को कार्यलय द्वारा निर्गत आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों में दरों का अंकन नही किया गया था जो नियम विरूद्ध है। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– श्री कुमार ने अपने जबाव में कहा है कि कारा अभिलेख में पूर्व के वर्षों में किये गये कार्यों को देखते हुए आगे करने की कोशिश की गयी है, जिसके संबंध में तत्कालीन अधीक्षक द्वारा निर्गत पत्रों पर हस्ताक्षर करते समय कोई आपति नहीं की गयी थी जो बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग से आते हैं।

आरोप संख्या– (viii) विभागीय पत्रांक 02 दिनांक 06.04.2015 एवं पत्रांक 34 दिनांक 30.06.2015 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न आकस्मिक मदों के लिए निर्गत आवंटनादेश में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया है कि कारा निर्माणशाला से निर्मित होने वाले सामग्रियों/खाद्य पदार्थो का उठाव एवं उसका भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही निर्माणशाला में उत्पादित सामग्री/खाद्य पदार्थ का क्रय किसी भी परिस्थिति में बाजार/आपूरक/अन्य एजेंसी से नही किया जायेगा। साथ ही इस आशय का प्रमाण–पत्र विपत्र पर अंकित करने का निदेश संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दिया गया है। काराधीक्षक को विभागीय पत्रांक 1395 दिनांक 03.03.2015 एवं 3804 दिनांक 26.06.2008 के शतप्रतिशत अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे परन्तु आपके द्वारा विभागीय निदेशों का उल्लंघन करते हुए कारा निर्माणशाला में निर्मित खाद्य सामग्रियों जैसे–सरसों तेल, मसाला आदि को प्राप्त नही कर आपूरक से लिया गया, जो वित्तीय अनियमितता, सरकारी आदेशों की अवहेलना, स्थापित नियमों का उल्लघंन एवं किसी व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ पहुँचाने में काराधीक्षक के साथ मिलीभगत का द्योतक है तथा इससे सरकारी राजस्व की क्षति हुई है।

स्पष्टीकरण :– अपने स्पष्टीकरण में श्री कुमार ने बताया कि उनके द्वारा मशाला एवं सरसों तेल की आपूर्ति केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर से ली गई है परन्तु आपूतिकर्त्ता कारा से सामग्रियों की आपूर्ति ससमय नहीं होने के कारण आपूरक से सामान मँगवाया जाता था, जिस पर अधीक्षक का अनुमोदन प्राप्त होता था।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– भंडार पंजी के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अगस्त 2015 में मशालों की आपूर्ति केन्द्रीय कारा, मुजफ्फपुर से ली गई थी तथा सरसों तेल की आपूति भी केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर से ली गई थी। लेकिन उक्त आपूर्ति नियमित रूप से निर्माणशाला कारा से ली जानी चाहिए थी। अतः यह आरोप श्री कुमार पर आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– श्री कुमार ने कहा है कि जब कारा में मशालों की स्थिति घटने लगी तो माह मई–2015 में पत्रांक 1195 दिनांक 04.05.2015 द्वारा शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर से मशालों की आपूर्ति हेतु व्यायादेश भेजते हुए बीजक की मांग की गयी। इस दौरान केन्द्रीय कारा, बक्सर द्वारा मशालों की आपूर्ति के संबंध में कोई उत्पादन से संबंधित पत्र भी प्राप्त नहीं हुए विभागी को दिये गये स्पष्टीकरण पर कोई दिशा–निदेश भी नहीं प्राप्त हुआ। फलस्वरूप उपरोक्त अस्पष्टता की स्थिति में घटते हुए मशालों की जगह थोड़ी–थोड़ी मात्राओं में मशालों की आपूर्ति स्थानीय आपूरक से लेने की बाध्यता उत्पन्न हो गयी। पुनः माह जून–2015 में इस कारा के पत्रांक 1553 दिनांक 08.06.2016 द्वारा मंडल कारा आरा के लिए सुरक्षा बलों की कमी के कारण उनके अपने विशेष दूत से पूर्व की भाँति या ट्रांसपोर्ट से भी पीसे हुए मशाले, सरसो तेल एवं अन्य काष्ठ सामग्री, जो शहीद खुदीराम बोस केन्द्रय कारा, मुजफ्फपुर में ही उत्पादित होते है, की आपूर्ति का अनुरोध पत्र स्मार कर भेजा गया था, परन्तु माह जून एवं जुलाई–2015 में प्रतीक्षोपरान्त कोई आपूर्ति उनके द्वारा नहीं की जा सकी।

पुनः इस कारा के पत्रांक 2165 दिनांक 03.08.2015 द्वारा कारा में नवपदस्थापित सुरक्षाकर्मियों की संख्या बल बढ़ने के पश्चात् अवकाश में जा रहे कक्षपाल, श्री प्रदीप कुमार यादव को को शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर से मशालों एवं सरसों तेल की आपूर्ति लेने का निर्देश कारा के पत्रांक 2165 दिनांक 03.08.2015 द्वारा दिया गया था। उक्त कक्षपाल द्वारा अकेला होने एवं अपना घरेलू सामान साथ लाए जाने पर अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर द्वारा विशेष दूत भेजकर पूर्व में जिन सामग्रियों की आपूर्ति नहीं हुई थी, का उठाव करने का निर्देश प्राप्त हुआ था जिसके अनुपालन में कारा के विशेष दूत कक्षपाल, श्री वंशनारायण सिंह को प्रतिनियुक्त कर केन्द्रीय कारा मुजफ्फरपुर भेजा गया था। उन्हे मात्र सरसों तेल की आपूर्ति की गयी एवं शेष सामग्रियों की आपूर्ति नहीं मिल पायी। इन्हीं परिस्थितियों में निर्माणशाला में उत्पादित सरसों तेल एवं मशालों की आपूर्ति नहीं प्राप्त की जा सकी। श्री कुमार का कहना है कि कारा में कक्षपालों की कमी एक व्यवस्थागत कमी थी और कारा की सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना अनिवार्य था। बार–बार विशेष दूत भेजा जाना एवं निर्माणशाला द्वारा मनमाने ढंग से सामग्री की आपूर्ति किया जाना कारा के लिए समस्या थी। श्री कुमार के अनुसार इसमें उनके द्वारा कोई स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही या वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी है और इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उन्हें इस आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

आरोप संख्या– (ix) दूध चूर्ण, सुधा डेयरी जो आरा में भी अधिष्ठापित है, से नियमित क्रय नही कर अधिकांशतः आपूरक श्री अजय कुमार सिंह से आपूर्ति लिया गया है जबकि विभागीय पत्रांक–4871 दिनांक 26.10.2012 के द्वारा स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया है कि दूध चूर्ण निश्चित रूप से कॉम्फेड से संबंधित निकटतम डेयरी से लिया जाय। साथ ही राशन भंडार में रक्षित खाद्य एवं अन्य सामग्रियों की कोई सूची/बोर्ड आपके द्वारा नही लगायी गई है जो विभागीय नियम का उल्लंघन है।

स्पष्टीकरण :– अपने स्पष्टीकरण में श्री कुमार ने कहा कि कम्फेड की दर पर ही दूध चूर्ण की आपूर्ति आपूरक से ली गई, जिस पर अधीक्षक का अनुमोदन प्राप्त था। इसके अतिरिक्त राशन भंडार में रक्षित खाद्य सामग्रियों की सूची/बोर्ड उन्होने जानकारी के अभाव में नहीं लगाया।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :–उपरोक्त तथ्यों का अनुशीलन किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि सहायक अधीक्षक, श्री कुमार विभागीय आदेशों के निर्वहन में विफल रहे। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– श्री कुमार ने अपने जबाव में कहा है कि दूग्ध चूर्ण की आपूर्ति हेतु पहले पैसा जमा करना पड़ता है। तत्पश्चात् उनके द्वारा दूग्ध चूर्ण की आपूर्ति की जाती है। कारा में नगद राशि हरवक्त इतना उपलब्ध नहीं रहता है कि उससे दूग्ध चूर्ण का क्रय किया जा सके। इसके अलावा रोकड़ का प्रभार भी उपाधीक्षक के पास रहता है। उपाधीक्षक द्वारा ही दूग्ध चूर्ण का क्रय किया जाना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ससमय बंदियों को चाय उपलब्ध कराने हेतु कम्फेंड के दर पर भुगतान की शर्त पर चिन्हित आपूरक श्री अजय कुमार सिंह से दूग्ध चूर्ण की आपूर्ति ली गयी है। नव नियुक्त सहायक अधीक्षक होने के कारण विभागीय आदेशों की जानकारी उन्हें नहीं थी, न ही किसी प्रकार का दिशा–निर्देश वरीय पदाधिकारियों से प्राप्त था जिसके कारण अतिरिक्त राशन भंडार में रक्षित खाद्य सामग्रियों की सूची/बोर्ड जानकारी के अभाव में नहीं लगाया जा सका।

आरोप संख्या– (x) जाँच की तिथि दिनांक 03.09.2015 को भंडार में ईमली एवं आमचूर्ण का कोई स्टॉक नही था जबकि बंदी भोजन समिति के पंजी में निर्गत दिखाया गया है। राशन भंडार में गेहूँ नही था परन्तु जाँच के क्रम में कम्पनी से पैक किया हुआ आटा 50 किलो के बोरा में पाया गया था लेकिन अभिलेख जाँच में गेहूँ की आपूर्ति 3% प्रतिशत साफ–सफाई की कटौती तथा 08 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से पिसाई दर्शाया गया है। इस संदर्भ में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा पूछे जाने पर आपके द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। उपर्युक्त कृत्य के लिए क्यों नही सरकारी राशि की हुई क्षति की वसूली आपके वेतन से कर लिया जाय।

स्पष्टीकरण :– अपने स्पष्टीकरण में श्री कुमार ने कहा है कि जाँच की तिथि को इमली एवं आमचूर्ण समाप्त हो गया था। साथ ही कारा में उपलब्ध गेहूँ को पिसाई हेतु भेजा गया था तथा कुछ बोरा गेहूँ पीसकर कारा को उपलब्ध कराया गया था।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जाँच की तिथि को इमली एवं आमचूर्ण की भंडार पंजी में अंकित मात्रा कारा गोदाम में उपलब्ध नही थी तथा गेहूँ के पिसाई में भेजे जाने से संबंधित कोई भी साक्ष्य अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। विभागीय जाँच में राशन भंडार में गेहूँ नहीं था तथा कम्पनी से पैक किया हुआ आटा 50 किलो के बोरा में पाया गया। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– श्री कुमार ने अपने जबाव में कहा है कि दिनांक 13.08.2015 को 7500.000 किलोग्राम गेहूँ की आपूर्ति ली गयी थी। जिसे विभिन्न तिथियों में अगस्त 2015 में ही पिसाई हेतु गेहूँ मिल में भेजा गया था। साक्ष्य स्वरूप विभिन्न तिथियों में भेजे गये गेहूँ की मात्रा बिक्री बही में अंकित कर भेजे गये थे फलस्वरूप गेहूँ का बैलेंस शून्य था दिनांक 03.09.2015 को कारा गोदाम में गेहूँ की मात्रा शून्य थी।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अनिल कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जवाब एवं संचिका में उपलब्ध अन्य अभिलेखों, कारा हस्तक के प्रावधानों एवं विभागीय अनुदेशो के आलोक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में कोई ठोस एवं नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान अपने बचाव में संचालन पदाधिकारी को दिये गये तथ्यों की ही पुनरावृति की गई है। उनके द्वारा अपने उत्तरदायित्व से बचने मात्र के उद्देश्य से प्रमुख विषयवस्तु से विषयांतरित होकर अप्रासंगिक तथ्यों का सहारा लिया गया है।

गठित आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्री कुमार का द्वितीय कारण पृच्छा जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है।

5. अतः श्री अनिल कुमार, सहायक अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति निलंबित) संलग्न मंडल कारा, गोपालगंज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत् निम्न वृहत् दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

" सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड (Dismissal from service)" ।

श्री कुमार को निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(स0अधी0)–03–06/2015 ...3603... दिनांक– ...15-6-16...

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, मंडल कारा, गोपालगंज/मंडल कारा, आरा/केन्द्रीय कारा, बक्सर तथा श्री अनिल कुमार, सहायक अधीक्षक (सम्प्रति निलंबित) संलग्न मंडल कारा, गोपालगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना–01, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

3. अधीक्षक, मंडल कारा, गोपालगंज को निदेश है कि आदेश की प्रति श्री कुमार को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

4. सभी अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा एवं उपकारा को सूचनार्थ प्रेषित।

5. आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/16
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।